

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना।
अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया।

पटना, दिनांक : 08-03-2019

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹13,52,50,112/- (तेरह करोड़ बावन लाख पच्चास हजार एक सौ बारह रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या-21(7)ब दिनांक-14.06.18, 32(7)ब दिनांक-20.09.18, 40(7)ब दिनांक-01.10.18, 46(7)ब दिनांक-11.10.18, 55(7)ब दिनांक-12.10.18, 76(7)ब दिनांक-28.12.18, 82(7)ब दिनांक-10.01.19 एवं 88(7)ब दिनांक-01.02.19 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹13,52,50,112/- (तेरह करोड़ बावन लाख पच्चास हजार एक सौ बारह रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है(विवरणी संलग्न)।


2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त 15D (वित्त विभाग के पत्रांक-ब-15/बी0एस0जी0 -21/2019 -257/वि0, दिनांक-26.2.2019) राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियों, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया, अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया, अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ निदेशक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड, पटना होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/ क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।



1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।


12. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय ।

13. संविदा सेवाएँ (28-02) तथा व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28-04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक होंगे ।

14. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।


15. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव




ज्ञापांक : 111(7)9


पटना, दिनांक : 08-03-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव



विवरणी-1

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में बिहार स्थित सदर अस्पताल/ अनुमंडल अस्पताल/ सदर प्रमंडलीय अस्पतालों (विपत्र कोड-20-2210011100013) का अन्य मदों के लिए अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	विक्रिसा प्रतिपूर्ति (06-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का इंधन एवं रखरखाव (13-02)	विद्युत प्रभार (13-04)	दवा भंडार (21-02)	आहार/ पथ्य (21-03)	व्यवसायिक/ कला/ तकनीकी सेवाएं (28-04)	मशीने एवं उपस्कर (52-01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मोजपुर (आरा)	0	0	0	3000000	100000	0	2500000	500000	6100000	207/16.1.19
2	बैशाली	0	0	0	800000	0	0	0	0	800000	375/21.2.19
3	पूर्णिया	0	50000	0	7000000	50000	1000000	1558423	500000	10158423	577,579/25.2.19
4	मामलपुर	0	500000	0	7000000	0	0	0	0	7500000	551/12.2.19, 374/1.2.19
5	एम0जे0के0 अस्प0,बेतिया	0	0	0	700000	0	0	0	0	700000	964/16.8.18
6	जहानाबाद	0	0	0	3000000	0	0	0	0	3000000	1965/11.9.18
7	किशनगंज	0	100000	0	1200000	0	0	0	0	1300000	478/20.2.19
8	सुपौल	0	50000	0	1600000	100000	1500000	1500000	200000	4950000	124/22.1.19
9	कटिहार	0	0	0	250000	100000	1332000	0	500000	2182000	106/19.1.19
10	औरंगाबाद	0	0	0	3200000	0	0	10000000	0	13200000	314/9.2.19
11	नालन्दा	0	0	0	18045108	0	0	0	0	18045108	482/12.2.19
12	लखीसराय	0	0	75000	500000	50000	0	0	0	625000	1431/7.9.18, 237/14.2.19
13	मुंगेर	0	50000	0	0	0	0	1000000	0	1050000	123/6.2.19
14	सहरसा	0	0	0	2000000	0	0	0	0	2000000	242/29.1.19
15	नवादा	0	0	0	0	50000	0	0	200000	250000	243/29.1.19
16	मोतिहारी	0	100000	0	500000	0	0	2900000	0	3500000	94/15.2.19
17	अरवल	0	0	0	0	50000	0	0	500000	550000	192/2.2.19
18	मुजफ्फरपुर	0	0	0	1300000	0	0	0	0	1300000	2790/28.8.18
19	सिवान	0	0	0	3000000	0	0	0	0	3000000	13/4.9.18
20	अररिया	0	0	0	3000000	0	0	0	0	3000000	2260/17.9.18
21	मधुबनी	0	0	0	200000	0	0	0	0	200000	2148/29.8.18
22	शेखपुरा	0	0	0	1000000	0	0	0	0	1000000	984/14.8.18
23	गोपालगंज	0	0	0	800000	0	0	0	0	800000	1755/7.8.18
24	खगड़िया	0	0	0	3000000	0	0	0	0	3000000	991/21.8.18
25	बेगुसराय	0	0	0	300000	0	0	0	0	300000	1823/1.9.18
26	गया	0	0	0	3105000	0	0	0	0	3105000	2512/25.8.18
27	सीतामढ़ी	0	0	0	50000	0	0	0	0	50000	2399/28.8.18
28	पटना	34689	0	0	0	0	0	0	0	34689	1927/2.3.19
29	जमुई	0	0	0	200000	0	0	0	0	200000	1613/30.8.18
30	गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल,पटना	0	0	0	43349892	0	0	0	0	43349892	639/29.8.18
	कुल	34689	850000	75000	108100000	500000	3832000	19458423	2400000	135250112	

(तेरह करोड़ बावन लाख पच्चास हजार एक सौ बारह) रु. मात्र

111 (7)A
08-03-19

सरकार के विशेष सचिव

(Signature)

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध (तृतीय अनुपूरक सहित)	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0013-01-01)	2450470000	2450470000	0	2450470000	0
2	जीवन यापन भत्ता (0013-01-03)	369520000	369520000	0	369520000	0
3	गकान किराया भत्ता (0013-01-04)	392550000	392550000	0	392550000	0
4	परिवहन भत्ता (0013-01-05)	6910000	6905000	0	6905000	5000
5	चिकित्सा भत्ता (0013-01-06)	46170000	45483570	0	45483570	686430
6	अन्य भत्ता (0013-01-07)	244360000	244360000	0	244360000	0
7	स्वैच्छित्त अग्रिम (0013-01-08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.01.110.0013.01 वेतन	3510980000	3509288570	0	3509288570	1691430
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013-06-01)	2500000	2438264	34689	2472953	27047
9	यात्रा व्यय (0013-11-01)	2530000	2530000	0	2530000	0
10	कार्यालय व्यय (0013-13-01)	9006000	6315000	850000	7165000	1841000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013-13-02)	3930000	2680000	75000	2755000	1175000
12	दूरभाष (0013-13-03)	5000000	2845000	0	2845000	2155000
13	विद्युत प्रभार (0013-13-04)	166620000	58520000	108100000	166620000	0
14	विधि प्रभार (0013-13-05)	1000000	310000	0	310000	690000
15	वर्दी / पोषाक (0013-13-06)	997000	997000	0	997000	0
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013-13-07)	1000	0	0	0	1000
17	किराया महसूल एवं कर (0013-14-01)	1810000	1810000	0	1810000	0
18	प्रशिक्षण व्यय (0013-20-03)	5759000	0	0	0	5759000
19	सागरी एवं पूर्तियाँ (0013-21-01)	27000000	27000000	0	27000000	0
20	दवा भंडार (0013-21-02)	300000000	299500000	500000	300000000	0
21	आहार / पथ्य (0013-21-03)	120000000	89466250	3832000	93298250	26701750
22	लघु कार्य (0013-27-01)	1000	0	0	0	1000
23	अनुरक्षण एवं गरगत (0013-27-02)	50000000	5352800	0	5352800	44647200
24	संविदा सेवाएँ (0013-28-02)	800000000	800000000	0	800000000	0
25	व्यवसायिक / कला तकनीकी सेवाएँ (0013-28-04)	700000000	523500000	19458423	542958423	157041577
26	अनुग्रह अनुदान (0013-37-01)	800000	0	0	0	800000
27	मशीने एवं उपस्कर (0013-52-01)	50000000	45750000	2400000	48150000	1850000
	कुल योग:-	5757934000	5378302884	135250112	5513552996	244381004

111(7)A

08-03-19

सरकार के विशेष सचिव
